रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052022-235530
CG-DL-E-04052022-235530

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2022/वैशाख 14, 1944
No. 318] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2022/VAISAKHA 14, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

सा.का.नि. 333(अ).—वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 सपठित धारा 9क की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खंड (ण) तथा (द) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियमावली, 2015 में आगे संशोधन के लिए, कतिपय नियमों का ड्राफ्ट, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 14 में अपेक्षित है, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है; तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त ड्राफ्ट नियमों पर, उस तिथि से, जिस तिथि को उस सरकारी राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से तीस दिन की अवधि के उपरांत विचार किया जाएगा;

कथित ड्राफ्ट नियमों के संबंध में, उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों तथा सुझावों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा।

तकनीकी प्रामाणिकता द्वारा यथासमर्थित आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो उन्हें उप सचिव भारत सरकार, 'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली – 11003 ई-मेल आईडीः soaai.moca@nic.in को संबोधित किया जा सकता हैं।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों को नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियमावली, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियमावली, 2015 में, अनुसूची-II में, पैराग्राफ 1, उप-पैराग्राफ 1.3 में, खंड 1.3.1.4 में, निम्नलिखित नियम को अन्तःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"बशर्ते, यदि थ्रेशोल्ड को स्थायी रूप से, जैसा कि संबंधित हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा घोषित किया गया हो तथा नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया हो, विस्थापित किया गया हो तो, विस्थापित थ्रेशोल्ड को अप्रोच निर्धारण के लिए, एक संदर्भ बिंदु के तौर पर लिया जाएगा"

[फा. सं. एवी-24011/28/2017-एएआई-एमओसीए]

रुबीना अली, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 751 (अ) दिनांक 30 सितंबर, 2015 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 में प्रकाशित किये गए थे एवं दिनांक 14 जून, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 610 (अ) के माध्यम से संशोधित तथा अंतिम बार दिनांक 17 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. के सा.का.नि. 770 (अ) के माध्यम से संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2022

G.S.R. 333(E).—The following draft of certain rules to further amend the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Rules, 2015, which the Central government hereby proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (o) and clause (r) of sub-section (2) of section 5 read with section 9A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Any objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period specified above, shall be considered by this Ministry.

Objections or suggestions, if any, duly supported with technical justification, may be addressed to the Deputy Secretary to the Government of India, 'B' Block, Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi – 110003; Email Id: soaai.moca@nic.in

Draft Rules

1. Short title and commencement:- (1) These rules shall be called the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Rules, 2015, in Schedule-II, in paragraph 1, in sub-paragraph 1.3, in clause 1.3.1.4, the following proviso shall be inserted namely:-

"Provided that, in case the threshold has been displaced permanently, as declared by the concerned airport operator and approved by the Director General of Civil Aviation, the displaced threshold shall be taken as reference point for determining the approach.".

[F. No. AV-24011/28/2017-AAI-MOCA]

RUBINA ALI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 1st October, 2015, vide notification number G.S.R. 751(E) dated 30th September, 2015 and amended vide notification number G.S.R 610(E) dated 14th June, 2016 and last amended vide notification number G.S.R. 770(E) dated 17th December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.04 22:40:02 +05'30'